प्रेस नोट
दिनांक 23.05.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण,जवानों को अनुशासन, एकरूपता एवं कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने हेतु दिए आवश्यक दिशा–निर्देश–

आज दिनांक 23.05.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई एवं परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय ने परेड में सम्मिलित पुलिस बल के जवानों की टर्नआउट, परेड ड्रिल, कतारबंदी, सामंजस्य एवं अनुशासन की समीक्षा की, साथ ही जवानों को दैनिक कार्यों में अनुशासन, एकरूपता एवं समयबद्धता बनाए रखने की महत्ता पर बल दिया। महोदय ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि परेड न केवल शारीरिक दक्षता का माध्यम है, बल्कि यह बल के अनुशासन, प्रतिबद्धता एवं मानसिक सजगता का भी परिचायक है। एक सशक्त पुलिस बल का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक पुलिस कर्मी अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार, अनुशासित तथा तत्पर हो। निरीक्षण के उपरांत महोदय ने जवानों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान हेतु सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण एवं समस्त परेड स्टाफ उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.05.2025</u>

<u>फर्जी सिम एक्टिवेशन करने वाले जियो स्टोर कर्मचारी को साइबर सेल द्वारा किया गया गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के क्रम में दिनांक 22.05.2025 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर जनपद गोण्डा की साइबर सेल टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए धानेपुर कस्बे के जियो स्टोर पर फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेशन के मामले में कार्रवाई करते हुए स्टोर के कर्मचारी विवेक कुमार द्विवेदी पुत्र चन्द्रभूषण द्विवेदी नि0 हरैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 22.05.2025 को साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना धानेपुर व जनपदीय साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा धानेपुर कस्बे के जियो स्टोर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टोर के कर्मचारी विवेक कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद फर्जी सिम प्राप्त किए गए। जांच में पाया गया कि अभियुक्त विवेक कुमार द्विवेदी ने फर्जी दस्तावेज और बिना जान–पहचान के लोगों के नाम पर सिम कार्ड एक्टिवेशन किया था। एक्टिवेशन के दौरान अल्टरनेट नंबर के रूप में फर्जी और अनजान व्यक्तियों के मोबाइल नंबर दर्ज किए गए थे, जो अपराध में शामिल होने वाले असली अपराधियों की पहचान छुपाने के लिए किया जा रहा था। अभियुक्त विवेक कुमार द्विवेदी के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) एवं 336(4) के तहत विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. विवेक कुमार द्विवेदी पुत्र चन्द्रभूषण द्विवेदी नि0 हरैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–123/25, धारा 318(4),336(4) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 02 अदद फर्जी सिम।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 शादाब आलम प्रभारी साइबर सेल मय टीम।
02. उ0नि0 परशुराम सिंह थाना धानेपुर मय टीम।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 23.05.2025, थाना धानेपुर
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त शनि कसौधन पुत्र कृष्ण कुमार निवासी बाबागंज बाजार पोस्ट श्रीनगर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को ग्राम त्रिभुवननगर सम्पर्क तिराहा से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 23.05.2025 को थाना धानेपुर के उ0नि0 मृत्युंजय तिवारी मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि त्रिभुवननगर सम्पर्क तिराहा के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त शनि कसौधन पुत्र कृष्ण कुमार निवासी बाबागंज बाजार पोस्ट श्रीनगर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0स0- 124/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शनि कसौधन पुत्र कृष्ण कुमार निवासी बाबागंज बाजार पोस्ट श्रीनगर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 124/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 किलो 100 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मृत्युंजय तिवारी
02. हे0का0 रामिलन चौहान
03. हे0का0 रामदरश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनाकं – 23.05.2025, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-405/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. वेद प्रकाश सिंह व 02. अभियुक्ता साधना सिंह को भगवान होटल महादेवा ओवरब्रिज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.05.2025 को वादी विपिन कुमार सिंह पुत्र स्व0 उमेश प्रताप सिंह निवासी परसोहनी, गौनरिया थाना खरगूपुर गोण्डा द्वारा थाना को0नगर पुलिस को सूचना दी कि उनका बडे भाई प्रदीप अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रहते थे। कुछ दिन पहले विपक्षीगण प्रार्थी के भाई के अपमानित करते हुए मारे- पीटे जिससे उनका भाई अत्यंत क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लिया। तहरीर के आधार पर थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-405/2025, धारा 108 बीएनएस बनाम साधना आदि 05 अभियुक्तों को विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है आज दिनांक 23.05.2025 को थाना को0नगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त 01. वेद प्रकाश सिंह व 02. अभियुक्ता साधना सिंह को भगवान होटल महादेवा ओवरब्रिज से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

01. वेद प्रकाश सिंह पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम नेवलापुर थाना विशेषरगंज, जनपद बहराईच।
02. श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 प्रदीप सिंह निवासी ग्राम नेवलापुर थाना विशेषरगंज, जनपद बहराईच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-405/2025, धारा 108 बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सोनू कुमार
02. हे0का0 कमलेश पाण्डेय
03. का0 राजेश कुमार
04. म0का0 अनामिका पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.05.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैरइरादतन हत्याभियुक्त को हुई 10 वर्ष का कारावास व रूपये 55,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा-

दिनांक 11.01.2020 को पप्पू तिवारी निवासी चन्द्रवतपुर थाना कोतवाली देहात गोण्डा द्वारा थाना को0देहात को सूचना दिया गया कि उनके भतीजे शिवानन्द को 02 अज्ञात व्यक्तियों में ने मार पीट करके सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया । जिनकी दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। पप्पू तिवारी की तहरीर पर थाना को0देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें को0देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेश चन्द्र तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 हरीश चन्द्र भारती द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.03.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0देहात के मु0अ0सं0-24/20, धारा 304,323, 504 भादवि में अभियोजक श्री अमीत कुमार पाठक, कोर्ट मोहरिर म0का0 वन्दना, थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त उमेश चन्द्र तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व 55,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. उमेश चन्द्र तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी निवासी झौहना पकडियाजोत थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-24/2020, धारा 304, 323, 504, 506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 23.05.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 6,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 03.01.2018 को थाना इटियाथोक को सूचना प्राप्त हुई की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0- 08/2018, धारा 354क, 504, 506 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)ब एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त 01. पिन्टू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री भरत यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 18.02.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना इटियाथोक पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 बंदना व थाना इटियाथोक के पैरोकार का0 शैलेन्द्र कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 23.05.2025 को दोषी अभियुक्त – 01. पिन्टू को 03 वर्ष का कारावास व 06,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

01. पिन्टू पुत्र स्व0 परशुराम निवासी ग्राम दरियापुर हरदोपट्टी, थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 08/2018, धारा 354क, 504, 506 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)ब एससी/एसटी एक्ट थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा ।

मीडिया सेल, गोण्डा।